

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक: एफ1(92)पीएस/निकाशि/13/पार्ट/190

दिनांक 10-01-2023

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
2. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय,
कॉलेज शिक्षा, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/अजमेर/कोटा/बीकानेर

विषय:- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम 1986 संशोधन दिनांक 14-10-2022 के तहत आचार्य पद पर पदोन्नति (सीएस योजनान्तर्गत) से संबंधित स्प्रेडशीट (Spreadsheet) में सूचना भरने के क्रम में।

संदर्भ:- आयुक्तालय का समसंख्यक आदेश क्रमांक 173 दिनांक 03-01-23।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि प्रोफेसर पद पर पदोन्नति संबंधी कार्य को समयबद्ध संपादित करने हेतु सभी महाविद्यालयों के साथ "PROFESSOR COLLEGE" नाम से स्प्रेडशीट साझा की जा रही है। अतः सभी महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि प्रोफेसर पद के लिए प्राप्त आवेदनों से संबंधित सूचना उक्त स्प्रेडशीट में दिनांक 13-01-2023 तक आवश्यक रूप से भरा जाना तथा प्राप्त आवेदनों की सूचना प्रतिदिन अद्यतन किया जाना सुनिश्चित करें। पूर्व में प्राप्त समस्त आवेदनों की सूचना भी इस स्प्रेडशीट में भरना सुनिश्चित करें।

इस स्प्रेडशीट में भरी गई समस्त सूचनाओं की जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी।


10/01/2023

(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान।
3. वेबसाइट प्रभारी- कृपया विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. रक्षित पत्रावली।


10/01/2023

(डॉ. आर. सी. मीना)

संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।